सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : भाबरू, कैम्प दिनांक 16.05.2018

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 92/2016 दायर तारीख 07.10.2016

1. बजरंग सिंह
2. मोहन सिंह

} पुत्रान छींतर सिंह जाती राजपूत निवासी भाबरू तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— वादीगण/अप्रार्थीगण

बनाम

1. किशन सिंह
2. विक्रम सिंह
} पुत्रान कबूल सिंह
3. प्रहलाद सिंह
4. गोकुल सिंह
5. पप्पू सिंह
} पुत्रान सांवत सिंह
6. लक्ष्मी कंवर पत्नी हरिसिंह
7. मानसिंह
8. नरेन्द्र सिंह
9. शेर सिंह
} पुत्रान हरिसिंह

} (1 से 9) जाती राजपूत निवासी भाबरू तहसील विराटनगर

10. सेनू कंवर पुत्री हरिसिंह पत्नी भवानी सिंह जाती राजपूत निवासी हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
11. नथू सिंह
12. राजू सिंह
} पुत्रान अमर सिंह निवासी भाबरू तहसील विराटनगर
13. सुरज्ञान कंवर पुत्र अमर सिंह पत्नी समुन्द्र सिंह जाती राजपूत निवासी बहादुरपुरा तन जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर
14. रघुवीर सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह जाती राजपूत निवासी भाबरू तहसील विराटनगर हाल निवासी भारत गैस एजेन्सी के पास बिदारा रोड शाहपुरा
15. रमासिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह जाती राजपूत निवासी भाबरू तहसील विराटनगर हाल निवासी बायल तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ, हरियाणा
16. उप पंजीयक एवं तहसीलदार कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर
17. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

18. हनुमानसिंह पुत्र छींतर सिंह
19. लाड कंवर
20. सोनी कंवर
} पुत्रियां छींतर सिंह जाती राजपूत निवासी भाबरू, तहसील विराटनगर

—— तरतीबी प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित : श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता वादी/अप्रार्थीगण
श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी सं॰ 1 से 13

निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

<u>निर्णय दिनांक 16.05.2018</u>

1. इस आदेश द्वारा प्रतिवादी/प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निर्णय किया जा रहा है।
2. वादी/अप्रार्थी के वाद कथन रहे कि ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 1246/0.0577, 1247/0.0385 हैक्टेयर भूमि वादी, प्रतिवादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसमें वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 1, 2 का हिस्सा 1/30, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 का हिस्सा 4/30, प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 15 का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण की उक्त आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से लगती हुई है, जिसमें बुजुर्गो की बनायी हुई कुआ व बावडी स्थित है एवं इनके बराबर ही शिव मंदिर वगैरह भी बने हुए है। अतः ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 1246/0.0577, 1247/0.0385 हैक्टेयर में बनी बावडी व मंदिर की भूमि को शामिल में रखते हुए शेष भूमि का बहिस्सानुसार बंटवारा करते हुए वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हिस्सा 1/2 का पृथक से कब्जा संभलाया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।
3. वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 238 संवत् 2072–2075, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये।
4. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर, प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 13 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (क) सपठित धारा 151 सीपीसी एवं अन्तर्गत धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। पैरोकार सरकार उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे, जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

5. प्रतिवादी/प्रार्थीगण प्रस्तुत वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (क) सपठित धारा 151 सीपीसी एवं अन्तर्गत धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा अपने वाद में आराजी मुतनाजा में अपने बुजुर्गो द्वारा बनायी गई कुआ व बावडी स्थित होना एवं इनके बराबर ही शिव मंदिर वगैरह बना होना जाहिर किया गया है। खसरा नम्बर 1246/0.0577, 1247/0.0385 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0962 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म गैरमुमकीन चाह रूप में दर्ज है, जिसके बंटवारा बाबत वादी ने हस्तगत वाद किया है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार गैरमुमकीन चाह भूमि का बंटवारा नहीं किया जा सकता न ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। वादी ने प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियमों, उपनियमों के विरूद्ध पेश किया है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जावे।

6. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट भाबरू में वास्ते सुनवाई पेश हुई। प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 5 एवं 8 व्यक्तिशः उपस्थित रहे। उपस्थित पक्षकारान को मजमा–ए–आम सुना गया, तथा मजमा–ए–आम से प्रकरण की जानकारी ली गई।

   प्रतिवादी/प्रार्थी का तर्क रहा कि वादीगण ने चाह की भूमि के बंटवारे का दावा किया है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के मुताबिक इस तरह का वाद पोषणीय नहीं है, तथा विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से कानूनन चलने योग्य नहीं है। अतः दावा विधि में वर्णित प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों, का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। वस्तुतः ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 1246/0.0577, 1247/0.0385 हैक्टेयर भूमि वादी, प्रतिवादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी का कानूनी बंटवारा चाहकर हिस्सा 1/2 भाग का पृथक से कब्जा संभलाये जाने का दावा किया है, वादीगण द्वारा अपने वाद में आराजी मुतनाजा में अपने बुजुर्गो द्वारा बनायी गई कुआ व बावडी स्थित होना एवं इनके बराबर ही शिव मंदिर वगैरह बना होना जाहिर किया गया है। खसरा नम्बर 1246/0.0577, 1247/0.0385 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0962 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म गैरमुमकीन चाह रूप में दर्ज है, जिसके बंटवारा बाबत वादी ने हस्तगत वाद किया है, जबकि आराजी मुतनाजा राजस्व रिकार्ड में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गैरमुमकीन चाह दर्ज है, तथा चाह का विभाजन किया जाना विधि संगत नहीं है। गैरमुमकीन चाह सभी सहखातेदारों की संयुक्त खातेदारी में रहने योग्य होता है। अतः वाद बाबत विभाजन विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से कानूनन चलने योग्य नहीं है। अतः दावा विधि में वर्णित प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किया जाना न्यायसंगत है। आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में गैरमुमकीन चाह दर्ज होने के आधार पर वादपत्र इस न्यायालय के विचारणीय नहीं पाता हूँ।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी का हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर वादपत्र को खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है।

निर्णय दिनांक 16.05.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प भाबरू में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार—2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भाबरू

बइजलास :— मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. बजरंग सिंह } पुत्रान छींतर सिंह जाती राजपूत निवासी भाबरू
2. मोहन सिंह } तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— वादीगण/अप्रार्थीगण

बनाम

1. किशन सिंह } पुत्रान कबूल सिंह
2. विक्रम सिंह }
3. प्रहलाद सिंह } पुत्रान सांवत सिंह
4. गोकुल सिंह }
5. पप्पू सिंह }
6. लक्ष्मी कंवर पत्नी हरिसिंह
7. मानसिंह } पुत्रान हरिसिंह
8. नरेन्द्र सिंह }
9. शेर सिंह }

(1 से 9) जाती राजपूत निवासी भाबरू तहसील विराटनगर

10. सेनू कंवर पुत्री हरिसिंह पत्नी भवानी सिंह जाती राजपूत निवासी हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
11. नथू सिंह } पुत्रान अमर सिंह
12. राजू सिंह } निवासी भाबरू तहसील विराटनगर
13. सुरज्ञान कंवर पुत्र अमर सिंह पत्नी समुन्द्र सिंह जाती राजपूत निवासी बहादुरपुरा तन जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर
14. रघुवीर सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह जाती राजपूत निवासी भाबरू तहसील विराटनगर हाल निवासी भारत गैस एजेन्सी के पास बिदारा रोड शाहपुरा
15. रमासिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह जाती राजपूत निवासी भाबरू तहसील विराटनगर हाल निवासी बायल तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ, हरियाणा
16. उप पंजीयक एवं तहसीलदार कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर
17. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

18. हनुमानसिंह पुत्र छींतर सिंह
19. लाड कंवर } पुत्रियां छींतर सिंह
20. सोनी कंवर } जाती राजपूत निवासी भाबरू, तहसील विराटनगर

—— तरतीबी प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 92/2016 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री आनन्दसिंह शेखावत एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री अवधेश कुमार शर्मा एडवोकेट** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 1246/0.0577, 1247/0.0385 हैक्टेयर में बनी बावडी व मंदिर की भूमि को शामिल में रखते हुए शेष भूमि का बहिस्सानुसार बंटवारा करते हुए वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हिस्सा 1/2 का पृथक से कब्जा संभलाया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

सुना गया। वादीगण द्वारा अपने वाद में आराजी मुतनाजा में अपने बुजुर्गो द्वारा बनायी गई कुआ व बावडी स्थित होना एवं इनके बराबर ही शिव मंदिर वगैरह बना होना जाहिर किया गया है। खसरा नम्बर 1246/0.0577, 1247/0.0385 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0962 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म गैरमुमकीन चाह रूप में दर्ज है, जिसके बंटवारा बाबत वादी ने हस्तगत वाद किया है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार गैरमुमकीन चाह भूमि का बंटवारा नहीं किया जा सकता न ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। वाद बाबबत विभाजन पोषणीय नहीं है, तथा विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से कानूनन चलने योग्य नहीं है। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** प्रार्थी/प्रतिवादी का हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार कर वादपत्र को खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है।

निर्णय दिनांक 16.05.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प भाबरू में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Web Copy Not ...

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 16.05.2018** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर